अट्ठाईसवां प्रतिवेदन

याचिका समिति

(सत्रहवीं लोक सभा)

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

(28.03.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2022

© 2022 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (सोलहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित।

विषय-सूची

पृष्ठ

याचिका समिति का गठन..... (i)

प्राक्कथन..... (iii)

प्रतिवेदन

देश में कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने तथा उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में कीटनाशी अधिनियम 1968, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 और बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 में संशोधन के संबंध में श्री मनमोहन कल्यांची के अभ्यावेदन पर याचिका समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के चौदहवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई। 1

अनुबंध

याचिका समिति की 22.12.2021 को हुई 19वीं बैठक का कार्यवाही सारांश (संलग्न नहीं)

याचिका समिति का गठन

श्री हरीश द्विवेदी - सभापति

सदस्य

2. श्री एंटो एन्टोनी
3. श्री हनुमान बेनीवाल
4. डॉ. सुकान्त मजूमदार
5. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक
6. श्री पी. रविन्द्रनाथ
7. श्री बृजेन्द्र सिंह
8. श्री सुशील कुमार सिंह
9. श्री मनोज तिवारी
10. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा
11. श्री राजन विचारे
12. रिक्त
13. रिक्त
14. रिक्त
15. रिक्त

सचिवालय

1. श्री टी. जी. चन्द्रशेखर	-	संयुक्त सचिव
2. श्री राजू श्रीवास्तव	-	निदेशक
3. श्री जी. सी. डोभाल	-	अपर निदेशक
4. श्री आनंद कुमार हांसदा	-	सहायक कार्यकारी अधिकारी

याचिका समिति का अट्ठाईसवां प्रतिवेदन

(सत्रहवीं लोक सभा)

प्राक्कथन

मैं, याचिका समिति का सभापति, समिति द्वारा उनकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, देश में कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने तथा उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में कीटनाशी अधिनियम 1968, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 और बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 में संशोधन के संबंध में श्री मनमोहन कलांत्री के अभ्यावेदन पर याचिका समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के चौदहवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर समिति का यह अट्ठाईसवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) सभा में प्रस्तुत करता हूँ।

2. समिति ने 22 दिसंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में अट्ठाईसवें प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और स्वीकार किया।

3. उक्त मुद्दों पर समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें प्रतिवेदन में शामिल की गई है।

नई दिल्ली;
22 दिसंबर, 2021
1 पौष, 1943 (शक)

श्री हरीश द्विवेदी,
सभापति,
याचिका समिति

प्रतिवेदन

देश में कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने तथा उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में कीटनाशी अधिनियम 1968, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 और बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 में संशोधन के संबंध में श्री मनमोहन कलांत्री के अभ्यावेदन पर याचिका समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के चौदहवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

याचिका समिति (सत्रहवीं लोक सभा) ने 11 फरवरी, 2021 को अपना चौदहवां प्रतिवेदन लोक सभा में प्रस्तुत किया, जो देश में कृषि व्यवसाय और उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में कीटनाशी अधिनियम, 1968, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 और बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 में संशोधन के संबंध में श्री मनमोहन कलांत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, एग्रो इनपुट डीलर्स, नई दिल्ली के अभ्यावेदन से सम्बंधित था।

2. समिति ने इस मामले में कुछ टिप्पणियां/सिफारिशें की थी तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) को सिफारिशों को लागू करने के लिए कहा गया था और उन सिफारिशों पर अपनी की-गई-कार्रवाई उत्तर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था ताकि समिति आगे विचार कर सके।

3. उपरोक्त प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) से

की-गई-कार्रवाई उत्तर प्राप्त हुए हैं। समिति द्वारा की गई सिफारिशों तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर आगे के पैराओं में विस्तार से दिए गए हैं।

4. प्रतिवेदन के पैरा 32 से 36 में, समिति ने निम्नवत टिप्पणियां/सिफारिशें की थी:-

"कीटनाशक डीलरों और/अथवा खुदरा विक्रेताओं के लिए शैक्षिक योग्यता, अनुभव और कुल कारोबार बिक्री संबंधी मानदंड में रियायत

वर्तमान अभ्यावेदन की जांच करते हुए तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) के निवेदन के आलोक में समिति ने 3 कानूनों/आदेशों यथा कीटनाशी अधिनियम, 1968, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 और बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के विभिन्न उपबंधों का अध्ययन किया है।

कीटनाशकों के डीलरों और/अथवा खुदरा विक्रेताओं या उनके द्वारा नियोजित व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यताओं के प्रावधानों के बारे में समिति नोट करती है कि कीटनाशी नियम, 1971 जो कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अंतर्गत बना है, में कृषि विज्ञान या जैव रसायन या जैव प्रौद्योगिकी या जीवन विज्ञान में या रसायन या वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान के साथ विज्ञान में स्नातक डिग्री अथवा पादप संरक्षण और कीटनाशी प्रबंधन पर पाठ्यक्रम के साथ कृषि बागवानी या संबंधित विषय में 1 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स निर्धारित है। समिति यह भी नोट करती है कि कीटनाशी (दूसरा संशोधन) नियम, 2017 के अनुसार ऐसे मौजूदा कीटनाशक डीलर जो 45

वर्ष से अधिक आयु के हो और जो 1 फरवरी 2017 (इन नियमों के प्रकाशन की तारीख) को स्वयं या विरासत से प्राप्त व्यवसाय में 10 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हों और जिनका वार्षिक टर्न ओवर 5,00,000 रुपये से कम है, को अपने नाम से जारी लाइसेंसीकरण की अवधि के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता होने की अपेक्षा से छूट दी जाती है।

इस काल क्रम में समिति यह भी नोट करती है कि सभी वर्तमान डीलर और/या खुदरा विक्रेता जो उक्त उपबंधों के अंतर्गत कवर नहीं है लेकिन 1 फरवरी, 2017 को उनके पास वैध लाइसेंस है और उनके पास निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं नहीं है, उन्हें किसी राज्य कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्रों या राष्ट्रीय कृषि प्रसार प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद या राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान या राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद राज्य कृषि प्रबंधन और विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय या राज्य शोध संस्थानों या किसी अन्य सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कीटनाशक प्रबंधन में सप्ताह में एक क्लास वाले 12 सप्ताह की अवधि का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम करना आवश्यक है।

समिति इस तथ्य से अच्छी तरह अवगत है कि कीटनाशक (पेस्टीसाइट्स और इंसेक्टीसाइड्स) जहरीले और खतरनाक पदार्थ हैं जिनका सावधानीपूर्वक रखरखाव करना अपेक्षित होता है और लेबल और/या सूचना पत्र में दिए गए अनुदेशों का कठोर अनुपालन करना अपेक्षित होता है और इसलिए यह आवश्यक समझा जाए कि कीटनाशक डीलर और खुदरा विक्रेता हो या खुदरा विक्रेता केंद्रों पर कम से कम उनके एक कर्मचारी के पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हो ताकि किसानों को कीटनाशकों के प्रयोग की मात्रा, आवृत्ति,

प्रविधि उपयोग का समय आदि के बारे में समुचित मार्ग निर्देशन मिल सके। इसके अतिरिक्त, समिति महसूस करती है कि कृषि उत्पादकता में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश के रूप में आज कीटनाशक आय सृजन का एक स्रोत बन गया है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को कीटनाशक व्यवसाय में आने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि कृषि और अन्य उत्पादों की बढ़ती मांगों को पूरा करने के दोहरे उद्देश्य को पूरा किया जा सके जिसके द्वारा किसानों की आय बढ़ाई जा सके और इसे एक रोजगार सृजन के प्रमुख स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सके। इसके अतिरिक्त, समिति का सुविचारित मत है कि कीटनाशक डीलरों/खुदरा विक्रेताओं अथवा उनके कर्मचारी जो महत्वपूर्ण एग्रो-इनपुट व्यक्ति/फर्म के रूप में कार्य करते हैं, वे अधिकांश किसानों के लिए प्रथम 'संपर्क केंद्र' होते हैं और इसलिए वर्तमान नव-परिभाषित कृषि क्रियाकलाप के समय में जहां किसान अपनी फसल की उत्पादकता और उसकी गुणवत्ता में बढ़ोतरी करने के लिए विभिन्न आधुनिक वैज्ञानिक और मशीनरी का उपयोग कर रहे हैं, किसानों को समुचित जानकारी देने वाले इन व्यक्तियों का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यह भी निर्विवाद तथ्य है कि वर्तमान समय में किसान अपने आप को बागवानी और अन्य कृषि संबद्ध क्रियाकलापों यथा पशुपालन, डेयरी, मधुमक्खी पालन आदि में शामिल होकर अपने व्यवसाय में तेजी से विविधता ला रहे हैं। दशकों पुराने कानून में मौजूदा शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई हैं जो शायद उस विशेष समय की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए की गई थी, इसलिए समिति सिफारिश करती है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) को कीटनाशक डीलरों/खुदरा विक्रेताओं और/या उनके कर्मचारियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता को कम करके विज्ञान वर्ग में उच्च

माध्यमिक (दसवीं) या उच्चतर माध्यमिक (बारहवीं) करने की संभावना तलाशनी चाहिए ताकि कीटनाशकों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने या कीटनाशक व्यवसाय में काम करने के इच्छुक अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को खुदरा दुकानों पर लगाया जा सके जिससे यह वर्तमान समय के साथ अनुरुप बन सके। तथापि, लाइसेंस जारी करने से पहले अभ्यर्थियों को कीटनाशकों के रखरखाव को प्रभावी प्रशिक्षण दिया जाए और इसके लिए मंत्रालय द्वारा प्रविधि बनाई जाए।

इसके बावजूद कि कीटनाशी (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2017 के अनुसार वर्तमान कीटनाशक डीलर जो 55 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और जो स्वयं या विरासत से प्राप्त अपना व्यवसाय एक जनवरी, 2017 को 10 वर्ष से ज्यादा के अनुभव के साथ चला रहे हैं और जिनका वार्षिक कारोबार 5,00,000 रुपये से कम है, उन्हें अपने नाम से लाइसेंस की वैधता की अवधि तक अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने की अपेक्षा से छूट दी जाती है, समिति चाहती है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) को अपने नाम से लाइसेंस की वैधता अवधि तक वर्तमान लाइसेंस धारक को कीटनाशक व्यवसाय को चलाने के पूर्व अनुभव और कुल कारोबार को घटाकर, अपेक्षित योग्यता से छूट देने के लिए अपेक्षित अनुभव और टर्नओवर संबंधी मानकों की वर्तमान शर्त को शिथिल करने के लिए अध्ययन कराया जाए। समिति चाहती है कि सभा में इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने के 3 माह के अंतर उठाए गए या प्रस्तावित कदमों से उसे अवगत कराया जाए।"

5. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्न्वत बताया है :-

"इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अधिकांश किसान डीलरों की सलाह पर कीटनाशकों की खरीद करते हैं, इसलिए 2017 में दिनांक 06.02.2017 की अधिसूचना जीएसआर 106 (ई) के तहत डीलरों की शैक्षिक अर्हता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान या जैव-रसायन या जैव-प्रौद्योगिकी या जीवन विज्ञान में या रसायन या वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान के साथ विज्ञान में स्नातक डिग्री अथवा पादप संरक्षण और कीटनाशी प्रबंधन पर पाठ्यक्रम के साथ कृषि बागवानी या संबंधित विषय में 1 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स निर्धारित किया गया है।

हालांकि, मौजूदा डीलरों को होने वाली समस्या को देखते हुए मौजूदा छोटे और सीमांत तथा लघु डीलरों को छूट देने का प्रावधान किया गया है जो नियमों में उल्लिखित विशिष्ट मानदंडों को पूरा करते हों। इसके अलावा, मौजूदा डीलरों की सुविधा हेतु, योग्यता अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एक सप्ताह में एक कक्षा के साथ 12 सप्ताह के प्रमाण पत्र वाले पाठ्यक्रम की अनुमति दी गई है।

डीलरों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता को कम करके उच्च माध्यमिक (कक्षा-10) या उच्चतर माध्यमिक (कक्षा-12) करने के संबंध में, विभाग का सुविचारित मत है कि जानकारी के अनुसार उच्च माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर पर कीटनाशक या कृमिनाशकों को विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जाता है। खुदरा विक्रेताओं और डीलरों को फसलों में होने वाली

बीमारियों और कीटों के प्रभावी नियंत्रण के लिए किसानों की आवश्यकता के आधार पर कीटनाशक के उपयोग के बारे में बुनियादी, प्रत्यक्ष सलाह देनी होती है। उच्च माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, विज्ञान के छात्रों को भी फसल-रोग-कीट-कीटनाशक-प्रबंधन-अनुप्रयोग आदि पर कीटनाशक के उपयोग के बारे में जानकारी और ज्ञान प्रदान नहीं की जाती है।

फसल, कीट और कीटनाशक विज्ञान का विशिष्ट ज्ञान और जानकारी प्राप्त करने के लिए उच्च माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विज्ञान विषय का बुनियादी अध्ययन करने के पश्चात व्यक्ति के पास न्यूनतम बीएससी कृषि या संबंधित विषय के साथ विज्ञान स्नातक की डिग्री या फसल संरक्षण मॉड्यूल में विशेष पाठ्यक्रम होना चाहिए।

इसलिए कीटनाशकों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विभाग का मानना है कि कीटनाशकों की बिक्री को केवल एक ऐसे पेशे के रूप में नहीं देखा जा सकता है जहां बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दिया जाए। इसके बजाय कीटनाशकों के उपयोग-फसल-रोग-प्रबंधन-पर्यावरण, आदि के प्रति समझ, ज्ञान और जिम्मेदारी की भावना वाले लोग ही कीटनाशकों के व्यवसाय में आएं।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए कीटनाशकों/कृमिनाशकों का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए शैक्षिक अर्हता को कम करने और प्रभावी प्रशिक्षण से इस कमी को पूरा करने पर विचार नहीं किया जा सकता है।

इसके अलावा, सरकार ने जीएसआर 106 (ई) दिनांक 06-02-2017 की अधिसूचना के तहत डीलरों के लिए शैक्षिक योग्यता की अर्हता शुरू की थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खुदरा दुकानों पर कीटनाशकों/कृमिनाशकों के खुदरा विक्रेताओं/या कर्मचारियों के पास न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हो जिससे वे किसानों को उन कीटनाशकों के उचित उपयोग के बारे में ठोस मार्गदर्शन प्रदान कर सके जिसमें विषैल और खतरनाक पदार्थ होते हैं और जिनका सावधानी पूर्वक प्रबंधन करना और लेबल तथा सूचना पत्रिका में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना अपेक्षित होता है।

इसके अलावा, हितधारकों की आपत्ति और सुझावों के आलोक में मौजूदा डीलरों को छूट देने का प्रावधान किया गया है क्योंकि उन सभी छोटे और सीमांत डीलरों के अनुभव को स्वीकार करना आवश्यक महसूस किया गया था, जिनका कारोबार 5 लाख रुपये से कम का है और उन्हें इस व्यवसाय में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव है और उन्हें अपने पेशे और आजीविका से वंचित नहीं किया जाए।

अन्य सभी छूट गए लाइसेंस धारकों के लिए यह उचित समझा गया था कि वे अपेक्षाकृत कम आयु के या उच्च कारोबार वाला होने के कारण वे या तो शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने या आवश्यक योग्यता वाले व्यक्ति को रोजगार देने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं।

इसके अलावा, विभाग ने इस पर पर्याप्त विचार किया कि वे सभी लाइसेंस धारक, जो अभी तक छूटे हुए हैं और जो स्नातक या एक वर्ष डिप्लोमा

करने की कठिनाई से गुजरना नहीं चाहते हैं या जो योग्य व्यक्ति को नियोजित नहीं करना चाहते हैं, ऐसे लाइसेंस धारको के लिए यह सुविधा प्रदान की गई है कि वह बड़ी संख्या वाले अधिसूचित संस्थानों से अपनी सुविधा और समय के अनुसार पादप सुरक्षा और कीटनाशक प्रबंधन पर बारह सप्ताह का अल्पकालिक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम पूरा करें जिससे कीटनाशक नियम, 1971 के अंतर्गत बड़ी संख्या में डीलर्स अपेक्षित अर्हता प्राप्त कर सकें। उक्त पाठ्यक्रम को 31.12.2020 तक पूरा किया जाना था, तथापि, भारत सरकार ने पहले ही इसकी समय सीमा बढ़ाकर दिसबंर, 2021 तक का कर दिया है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए कीटनाशकों और कृमिनाशकों के व्यवसाय को चलाने के लिए निर्धारित अनुभव के वर्ष को कम करने और उनके टर्न-ओवर की आवश्यकताओं पर विचार नहीं किया जा सकता है।"

6. प्रतिवेदन के पैरा 37 से 39 में समिति ने निम्नलिखित टिप्पिणयां/सिफारिशें कीं: -

"<u>कीटनाशक डीलरों/खुदरा विक्रेताओं के लिए कीटनाशक प्रबंधन में अल्पकालिक पाठ्यक्रम</u>

कृषि और कृषि कल्याण मंत्रालय (कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) के निवेदन के आधार पर समिति यह तथ्य नोट करती है कि कीटनाशक (दूसरा संशोधन) नियम, 2017 में उन सभी वर्तमान कीटनाशक डीलरों/खुदरा विक्रेताओं जिनके पास निर्धारित शैक्षिक योग्यता नहीं है

लेकिन 1 फरवरी, 2017 को उनके पास वैध लाइसेंस है और अनुभव तथा कारोबार संबंधित छूट खंड के अंतर्गत कवर नहीं है, उनके लिए कीटनाशक प्रबंधन में अल्पकालिक प्रमाण-पत्र भी उपबंध है। ऐसे डीलर/ खुदरा विक्रेता को किसी राज्य कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र या राष्ट्रीय कृषि प्रसार प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद या राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान या राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद, राज्य कृषि प्रबंधन और प्रसार प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय या राज्य शोध संस्थानों या किसी अन्य सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कीटनाशक प्रबंधन में सप्ताह में एक दिन चलने वाले 12 सप्ताह की अवधि का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम प्राप्त करना अपेक्षित है।

प्रशिक्षण दिए जाने वाले मौजूदा कीटनाशक डीलरों /खुदरा विक्रेताओं की संख्या के आकलन के अनुसार कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) द्वारा दी गई संख्या के आलोक में समिति नोट करती है कि कुछ राज्यों यथा गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा, बिहार, आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल और गोवा में ऐसे डीलरों/खुदरा विक्रेताओं की कुल संख्या **76391** है । समिति यह भी नोट करती है कि एस आई ए एम/ उपकेंद्र/केवीके के माध्यम से या विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों के माध्यम से उक्त प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए पहले से नामांकित कीटनाशक डीलरों/खुदरा विक्रेताओं की संख्या **26594** है। वैसे डीलर/ खुदरा विक्रेता की कुल संख्या जिन्हें प्रशिक्षण दिया जाना अपेक्षित है और वैसे डीलर/खुदरा विक्रेता की संख्या जिन्हें आवश्यक प्रशिक्षण के लिए नामांकित किया गया है, की तुलना करने पर समिति इसे उत्साहजनक नहीं पाती है

और इस संबंध में समिति यह भी नोट करती है कि राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद जो नोडल/समन्वय एजेंसी है, के अनुसार आईसीएआर/केवीके/17 राज्यों के एसएयूके 82 संस्थानों ने कीटनाशक प्रबंधन में 12 सप्ताह का प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम करने के लिए एनआईपीएचएम को प्रस्ताव भेजा था जिसमें से चार राज्यों यथा राजस्थान (17), महाराष्ट्र (3), ओडिशा (1) और केरल (1) ने विभिन्न एस आई एम/ उपकेंद्र/केवीके के माध्यम से कीटनाशक प्रबंधन विषय पर प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम के लिए 22 बैच पहले ही शुरू कर दिए हैं जिसमें केवल 869 डीलर नामांकित हैं।

समिति यह देख कर संतुष्ट नहीं है कि कीटनाशक प्रबंधन में 12 सप्ताह वाले अल्पकालिक प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम के लिए नामांकित कीटनाशक/डीलरों/खुदरा विक्रेताओं की संख्या वैसे डीलरों/खुदरा विक्रेताओं से कम है जो उक्त कोर्स करने के लिए अभिज्ञात किए गए हैं। इसलिए समिति चाहती है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) को राज्य सरकारों और राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान के साथ परामर्श करके वैसे कीटनाशक/डीलरों/खुदरा विक्रेताओं को अधिक से अधिक संख्या में नामांकित करने के लिए सक्रिय उपाय करने चाहिए जिन्हें कीटनाशक/प्रबंधन में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम कराना अपेक्षित है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सभी राज्यों को वार्षिक आधार पर तीन बेहतर निष्पादन करने वाले राज्यों को ट्रॉफी/ प्रमाण पत्र देने जैसे कुछ प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और समिति यह भी सिफारिश करती है कि मंत्रालय को दूरस्थ शिक्षा माध्यम या ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से उक्त प्रशिक्षण कक्षाएं चलाने की प्रविधि तलाशनी

चाहिए ताकि डीलरों/खुदरा विक्रेताओं को संस्थानों/अध्ययन केंद्रों में नहीं जाना पड़े और समिति चाहती है कि सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के 3 माह के अंदर इस संबंध में आवश्यक उठाए गए/प्रस्तावित कदमों के बारे में सूचित किया जाए।"

7. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) ने अपने की गई कार्रवाई उत्तरों में निम्नलिखित जानकारी दी:-

"संसदीय समिति के उल्लेखनीय सुझावों पर विभाग द्वारा विचार और कार्यान्वयन किया गया है और निम्नलिखित आवश्यक कार्रवाई की गई है:-

(i) अल्पकालिक प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम करने वाले मौजूदा डीलरों की प्रभावी निगरानी के लिए मौजूदा डीलरों के इस प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम की निगरानी और संचालन हेतु प्रत्येक राज्य की एसएएमईटीआई को राज्य स्तर पर और एनआईपीएचएम को केंद्र स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में शामिल करने को अनुमोदन प्रदान किया गया है ताकि अल्पावधि प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम की प्रभावी निगरानी की जा सके। इसके अलावा, इस उद्देश्य के लिए एसएएमईटीआई को लागू नियमों के अनुसार उम्मीदवारों के प्रति बैच पर निगरानी शुल्क (प्रोत्साहन) का भुगतान भी किया जाएगा। साथ ही, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को ट्राफियां और प्रमाण पत्र देने के प्रावधान भी लागू किए जाएंगे।

(ii) ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से मौजूदा कीटनाशकों डीलरों के लिए अल्पकालिक प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए एनआईपीएचएम को अनुमोदन प्रदान किया गया है जिसमें थ्योरी व्याख्यान 36 घंटे, प्रैक्टिकल/क्षेत्र का दौरा 18 घंटे तथा असाइनमेंट 18 घंटे (कुल 72 घंटे, 12 दिन) के लिए आयोजित किया जाएगा।

सरकार द्वारा किए गए उपरोक्त कार्यों से मौजूदा डीलरों को ऑनलाइन माध्यम से प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू करने में और सुविधा होगी और उन्हें संस्थानों/अध्ययन केंद्रों पर जाने के लिए शारीरिक रूप से कष्ट उठाना नहीं पड़ेगा।"

8. प्रतिवेदन के पैरा 40 से 42 में समिति ने निम्नलिखित टिप्पिणयां/सिफारिशें कीं:-

"<u>अमानक /घटिया उर्वरकों के लिए समान जिम्मेदारी निर्धारित करना</u>

समिति कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) के निवेदन से नोट करती है कि उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के संगत उपबंध के अंतर्गत कोई व्यक्ति जिसके पास गैर-मानक वाले माल हैं, के पकड़े जाने पर उपयुक्त सजा का भागी है। इस संबंध में मंत्रालय ने 6 दिसंबर, 1991 को राज्य प्रवर्तन पदाधिकारियों को एक एडवाइजरी जारी की है कि जहां कहीं डीलरों के मूल रुप से ठीक-ठाक बैग (छेड़छाड़ के किसी निशान के बिना) से सैंपल लिया जाता है और उसे/गैर-मानक उर्वरक पाया जाता है तो यह उन्हें उत्तरदायी ठहराने के लिए पर्याप्त

साक्ष्य मौजूद है तथा वहां उन निर्माताओं को 'द्वितीय पक्ष' के रूप में जिम्मेदार ठहराया जाए।

समिति यह भी नोट करती है कि यदि खुदरा विक्रेताओं से नमूने संग्रहित किए जाएं और गैर-मानक पाए जाएं, तो विनिर्माताओं/थोक विक्रेता/विपणनकर्ता को उत्तरदायी ठहराने के लिए उपयुक्त प्रावधान करने हेतु एफसीओ में संशोधन करने पर मंत्रालय विचार भी कर रहा है। समिति यह भी नोट करती है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पाद की गुणवत्ता से समझौता न हो, उर्वरक विभाग (रसायन और उर्वरक मंत्रालय) सक्रिय रुप से राष्ट्रीय परीक्षण और अशांकन प्रयोगशाला/प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यापन प्राप्त प्रयोगशालाओं के सभी विनिर्माण यूनिटों में रखने पर विचार कर रहा है।

उपर्युक्त के अलावा समिति महसूस करती है कि लागू कानून में अपराध (अपराधों) के लिए समान बर्ताव होना चाहिए तथा 'समान अपराधों' के लिए बिना किसी भेदभाव या तकनीकी शब्दजाल के 'समान दंड' की आवश्यकता होती है। कृषि और किसान कल्याण (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) ने 6.12.1991 को दिशानिर्देश जारी किए हैं जिसमें राज्य प्रवर्तन अधिकारियों को परामर्शिका जारी की गई है कि वे निर्माता को उन मामलों में दूसरी पार्टी के रुप में शामिल करें, जहां भी डीलर से, मूल रुप से अच्छे बैगों से लिए गए नमूने (छेड़छाड़ के किसी भी निशान के बिना) गैर-मानक वाले पाए जाते हैं, फिर भी समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय निर्माताओं पर भी समान रुप से जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए उपयुक्त तंत्र बनाए तथा उन मामलों में उन्हें भी दंडित किया जाए जहां किसी डीलर

से मूल रुप से अच्छे बैगों (छेड़छाड़ के किसी भी निशान के बिना) से लिए गए सैम्पल गैर-मानक/घटिया हों। इसमें यदि आवश्यक हो, तो उर्वरक (नियंत्रण) आदेश (एफसीओ),1985 में संशोधन पर भी विचार किया जा सकता है। समिति चाहती है कि उसे इस बारे में की गई/ प्रस्तावित कार्रवाई से इस रिपोर्ट को सभा में प्रस्तुत करने के तीन माह के भीतर अवगत कराया जाए।"

9. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में यह जानकारी दी है:-

"मामले की जांच की गई है और इस प्रावधान को एफसीओ, 1985 में शामिल करने का निर्णय लिया गया था। निम्नलिखित नए खंड को एफसीओ में शामिल करने का निर्णय लिया गया है :-

"खंड 19 (क) : ऐसे मामलों मे जहां डीलरों से मूल साबुत बैग (जिन पर छेड़छाड़ का कोई निशान नहीं था) से नमूने लिए जाते हैं और वे अमानक पाया जाता है, तो ऐसी परिस्थितियों में अधिनियम के तहत न्यायालय में मामले दायर करने के लिए और साथ-साथ इस आदेश के खंड 31 के तहत कार्यवाही के लिए डीलर और निर्माता दोनों को पक्षकार बनाया जाएगा।."

तदनुसार प्रारूप अधिसूचना बनाई गई है और जाँच हेतु विधि और न्याय मंत्रालय को भेजी गई है।"

10. प्रतिवेदन के पैरा 43 से 44 में समिति ने निम्नवत टिप्पणी/सिफारिश की थी :-

<u>अमानक उर्वरकों, बीजों और कीटनाशकों के मामलों में अभियोजन और दोषसिद्धि</u>

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, समिति ने पाया है कि उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के अंतर्गत गत पांच वर्षों में 25058 सैम्पल घटिया गुणवत्ता के पाए गए जिसके कारण 1583 अभियोजन शुरु हुए और 8 में दोषसिद्धि हुई। इसी प्रकार बीज अधिनियम के अंतर्गत कुल 7,53,261 सैम्पल का विश्लेषण किया गया और 3550 अभियोजन दायर हुए, जिनमें से 656 मामलों में दोषसिद्धि हुई। कीटनाशक अधिनियम, 1968 में गत छह वर्षों से अर्थात् 2014-15 से 2019-20 तक 4,15,385 सैम्पलों का विश्लेषण किया गया तथा घटिया/निम्न गुणवत्ता वाले कीटनाशकों के उत्पाद, बिक्री एवं गैर-कानूनी आयात को लेकर 4787 मामलों में अभियोजन दायर किए गए और 278 मामलों में दोषसिद्धि हुई।

समिति यह नोटकर आश्चर्यचकित है कि घटिया उर्वरकों, बीजों एवं कीटनाशकों के संबंध में दोषसिद्धि की दर अत्यंत कम है। समिति की सुविचारित राय है कि किसी प्रमाणित गलत कार्य का अंतिम परीक्षण यह है कि आपराधिक कृत्य में दोषसिद्धि हो। इस बारे में समिति महसूस करती है कि दोषसिद्धि की निम्न दर मुख्यत: दो पहलुओं पर निर्भर करती है।

पहला यह कि व्यक्ति को गलत तरीके से फंसाया गया है तथा दूसरा यह है कि व्यक्ति को सही तरीके से कानून के दायरे में लाया गया है, लेकिन केस फाइल स्पष्ट तरीके से तैयार नहीं की गई है और अनजाने या इरादतन आरोप पत्र में स्पष्ट कमियां छोड़ी गई हैं जिसके कारण गुनहगार स्वयं न्यायालयों से छूट जाता है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) धोखेबाज विनिर्माताओं/डीलरों के विरुद्ध घटिया उर्वरकों, बीजों एवं कीटनाशकों के अभियोजन के मामलों में 'दोषसिद्धि दर' में सुधार करने हेतु मार्गोपाय तलाशने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय बनाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन कृषि आदान उत्पादों की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाए तथा किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले ये उत्पाद न्यूनतम परेशानी से मिल सके। इसी के साथ यह सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकारों को भी संवेदनशील बनाया जाए कि कोई भी उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक के विनिर्माता/डीलर को विहित अधिकारियों/निरीक्षकों द्वारा झूठे मामलों में नहीं फंसाया जाए।

11. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में यह जानकारी दी है:-

"कीटनाशक के मामले असंज्ञेय अपराध हैं और इन्हें शिकायती मामले के रूप में दर्ज किया जाता है जिससे इस कारण से विचारण प्रक्रिया में विलंब होता है कि अभियोजन साक्ष्य को अभियोग पूर्व चरण और अभियोग पश्चात् चरण में प्रस्तुत किया जाना होता है, जिससे अभियोजन प्रक्रिया में काफी समय लगता है। राज्यों ने सूचित किया है कि कीटनाशकों के मामले

त्वरित न्यायालय के मामलों के रूप में नहीं निपटाए जाते हैं, इन मामलों की प्राय: कम प्राथमिकता दिया जाता है और अन्य संज्ञेय अपराधों को प्राथमिकता दिए जाने के कारण उन्हें नियमित मामला माना जाता है, जिससे कानूनी प्रक्रिया लंबी होती है, इसके अलावा कीटनाशक मामलों के लिए कोई विशेष अदालतें भी नहीं होती हैं। इसके अलावा, अधिकांश मामलों के लिए दोषसिद्धि की दर राज्य अभियोजन प्राधिकारियों के निष्पादन, उनके अवसंरचना के साथ-साथ न्यायालयों के अवसंरचना पर निर्भर करती है। न्यायालयों में सामान्यत: भारी संख्या में मामले लम्बित होते हैं और अलग-थलग पड़ें कीटनाशक मामलों में दोषसिद्धि दर को बढ़ाने के लिए कोई ठोस बड़ा उपाय करना पड़ेगा, हालांकि यह सराहनीय प्रतीत होता है लेकिन इसे लागू करना व्यवहार्य नहीं है ।

तथापि, किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और अमानक बीजों की आपूर्ति के लिए दोषसिद्धि दर बढ़ाने के लिए सभी राज्यों से अनुरोध है कि वे सभी फसलों के लिए प्रत्येक बुवाई के मौसम से पहले बीज के नमूने लें और यदि बीज घटिया पाए जाते हैं तो कानून के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाए ।

समिति की टिप्पणियों का अनुपालन करने के लिए राज्य सरकारों को एक परामर्श जारी किया गया है। इसकी प्रतिलिपि अनुबंध - क में दी गई है। राज्यों को सलाह दी जाती है कि वे इस मंत्रालय को न्यायालयीन मामले दायर करने और मामले में डीलरों/विनिर्माताओं को पक्षकार के रूप में शामिल करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया या मानदंडों और मामले दायर करने में लगने वाले समय से अवगत कराएं। राज्यों को यह भी सलाह दी

जाती है कि वे एफसीओ के प्रावधान को लागू करते समय याचिका समिति द्वारा की गई टिप्पणियों का पालन करें।

12. प्रतिवेदन के पैरा 45 से 46 में समिति ने निम्नवत टिप्पणी /सिफारिश की थी :-

"<u>रिकार्ड की आधुनिक प्रणाली/विस्तृत सूची प्रबंधन/डिजिटल रिकार्ड कीपिंग</u>

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) द्वारा दी गई सूचनाओं से समिति नोट करती है कि एफसीओ में सामानों का विस्तृत रजिस्टर/सूची रखने की प्रविधि निर्धारित नहीं है। इस कमी के मद्देनजर डिजिटल रजिस्टर/रिकार्ड रखने का एक विशेष उपबंध शामिल करने का प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन है। इसी प्रकार कीटनाशक अधिनियम और विनियमों में डिजिटल रुप में स्टॉक रखने का भी कोई उपबंध नहीं है। . तथापि, अब कीटनाशी प्रबंधन विधेयक, 2020 में इस बारे में उपबंध किए गए हैं। समिति यह भी नोट करती है कि बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के अंतर्गत सीड डीलरों द्वारा डिजिटल स्टॉक रखने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

भारत सरकार की बहुप्रतीक्षित डिजिटल इंडिया पहल को ध्यान में रखते हुए, जिसमें हाल के वर्षों में पूरे देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी को कई गुना बढ़ा दिया गया है, समिति कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) को उर्वरक (नियंत्रण) आदेश में उपयुक्त

संशोधनों पर काम करने की सिफारिश करती है। 1985 और बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 में विनिर्माण/डीलरों द्वारा डिजिटल रूप में स्टॉक का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं। समिति की राय में स्टॉक का रिकॉर्ड डिजिटल रूप में रखने से न केवल स्टॉक प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि सरकारी अभिकरणों द्वारा सत्यापन प्रक्रिया को भी एक स्पष्ट सीमा तक सरल बनाया जा सकेगा।''

13. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में यह जानकारी दी है :-

"राज्यों से अनुरोध किया जाये कि बीजों के स्टॉक के रिकॉर्ड को बीज डीलरों द्वारा डिजिटल रूप (बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के तहत प्रपत्र-डी) में रखने की आवश्यकता है ताकि स्टॉक प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके और व्यापार सुगमता के लिए सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके।

मामले की जांच की गई है और निम्नलिखित प्रावधानों को शामिल करते हुए खंड 35 (1) (क) के मौजूदा उपबंध में संशोधन करने का निर्णय लिया गया :-

"या डिजिटल स्टॉक रजिस्टर ऐसे रूप में बनाए रखें जो स्पष्ट रूप से तारीख वार स्टॉक स्थिति, ओपनिंग बैलेंस, दिन के दौरान प्राप्तियों, दिन के दौरान बिक्री और स्टॉक बंद करने को प्रदर्शित करता है।"

तदनुसार, अधिसूचना का प्रारूप तैयार कर इसके पुनरीक्षण के लिए विधि मंत्रालय को भेजा गया है।"

14. प्रतिवेदन के पैरा 47 और 48 में, समिति ने निम्नवत टिप्पणियां/सिफारिशें की थी:-

"उर्वरक, बीज और कीटनाशी के मामलों में किसी अन्य पारिवारिक सदस्य को लाइसेंस अंतरित करने का उपबंध।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) के कथनों के आधार पर समिति नोट करती है कि बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 तथा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 में सीड डीलरों के लाइसैंस को परिवार के सदस्यों को स्थानांतरित करने का कोई प्रावधान नहीं है जबकि कीटनाशी अधिनियम, 1968 और उनके अधीन बने नियमों में परिवार के सदस्यों सहित किसी अन्य व्यक्ति को लाइसेंस का अंतरण करने का उपबंध है बशर्ते नियमों के अधीन विहित शर्तें पूरी होती हों।

बीज और उर्वरकों के संबंध में मौजूदा लाइसेंसधारक द्वारा भारत में नये स्थान पर लाइसेंस के लिए आवेदन करने की जटिल प्रक्रियाओं पर विचार करते हुए समिति चाहती है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) को वर्तमान लाइसेंसधारक के परिवार के सदस्यों को बीज और उर्वरक लाइसेंस का स्थानांतरण किए जाने की प्रविधि पर काम करना चाहिए और तदनुसार बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 और उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 में उचित संशोधन करना चाहिए। समिति सभा में इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने के 3 माह के अंदर इस संबंध में की गई कार्रवाई/प्रस्तावित कार्रवाई से अवगत होना चाहेगी।"

15. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्न्वत बताया:-

" बीज डीलरों के लाइसैंस को उचित प्रक्रिया का अनुपालन कर कानूनी वारिस/परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित करने के लिए मौजूदा बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 में उपयुक्त संशोधन करने का प्रस्ताव किया जा सकता है।

हालांकि, उर्वरक नियंत्रण आदेश के खंड 8 (4) के तहत डीलर को 15 दिन की डीलर ट्रेनिंग से गुजरना आवश्यक है। अपेक्षित अर्हता के बिना प्राधिकार पत्र का हस्तांतरण करने से उर्वरकों की बिक्री के लिए लाइसैंस प्राप्त करने की यथा निर्धारित खुदरा डीलरशिप अर्हता या प्रशिक्षण प्राप्त करने संबंधी अर्हता निर्धारित करने के उस उद्देश्य को ही निष्फल कर देगा। इसलिए समिति के अनुरोध पर सहमत होना व्यवहारिक नहीं है।"

16. प्रतिवेदन के पैरा 49 और 50 में, समिति ने निम्नवत टिप्पणियां/सिफारिशें की थी:-

"<u>प्रस्तावित कीटनाशी प्रबंधन विधेयक 2020</u>

समिति कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) के निवेदन से यह नोट करती है कि देशी विनिर्माण को सुदृढ़ बनाने और कीटनाशक विनियमन को सरल बनाने के विचार से कीटनाशी प्रबंधन विधेयक, 2020 राज्यसभा में 23 मार्च 2020 को

पुर:स्थापित किया गया था। इस विधेयक में अन्य बातों के साथ निम्न उपबंध अंतर्विष्ट हैं:-

1. विनिर्माण और बिक्री के लिए लाइसेंस के नवीकरण की प्रथा को समाप्त किया जाना;
2. कीटनाशक निरीक्षक बिक्री रोकने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट से अनुमति लेगा और लिखित रूप में उसके आदेश को रिकॉर्ड करेगा;
3. कीटनाशकों के परीक्षण/विश्लेषण के लिए और अधिक प्रयोगशाला का निर्माण करना। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लोक संस्थानों को कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशालाओं के रूप अधिसूचित करना;
4. जैविक और पारंपरिक ज्ञान के आधार पर और स्वदेशी विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कीटनाशकों को बढ़ावा देना;
5. जेनेरिक कीटनाशकों के लिए प्रावधान करना;
6. केन्द्र सरकार, पंजीकरण समिति को सिफारिश के आधार पर कीटनाशक गुण से युक्त पदार्थों के साथ पदार्थ के दोहरे उपयोग को अधिनियम के उपबंध से छूट प्रदान कर सकती है;
7. डिजिटल प्रारूप राष्ट्रीय कीटनाशक रजिस्टर और कीटनाशकों का राज्य स्तरीय डेटाबेस का प्रावधान।

प्रस्तावित कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2020 के उद्देश्यों की सराहना करते हुए समिति कृषि और कृषि कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और कृषि कल्याण विभाग) से यह सुनिश्चित करने के लिए आग्रह करना चाहती है कि जैसे ही संसद द्वारा विधेयक पारित किया जाए और भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा संस्वीकृति मिले, उसके बाद नियम तुरंत बनाये जाए और दोनों

सदनों के पटल पर रखा जाए ताकि यह अच्छा विधेयक किसान समुदाय का समग्र कल्याण कर सकें जिसके लिए केंद्र सरकार नवीन कार्यक्रमों और नीतियों के साथ सही प्रयास कर रही है।"

17. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्न्वत बताया:-

"जब भी संसद द्वारा विधेयक पारित किया जाता है और भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी जाती है, तो शीघ्र ही नियमों को तैयार करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।"

टिप्पणियां/सिफारिशें

कीटनाशक डीलरों/खुदरा विक्रेताओं के लिए शैक्षिक योग्यता, अनुभव और कारोबार मानदंड

18. समिति ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) द्वारा दिए गए तत्काल निरूपण और प्रस्तुतियों की जांच करते समय तीन विधानों/आदेशों अर्थात कीटनाशी अधिनियम, 1968, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 और बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के विभिन्न उपबंधों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया। कीटनाशक डीलरों और/या खुदरा विक्रेताओं या उनके द्वारा नियोजित व्यक्तियों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता के पहलू पर समिति ने यह पाया था कि शैक्षिक योग्यता, संभवतः उस विशेष समयावधि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दशक पुराने विधान में निर्धारित की गई थी। इसलिए समिति ने सिफारिश की थी कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) को कीटनाशक/कृमिनाशक डीलरों और/या खुदरा विक्रेताओं या उनके कर्मचारियों के लिए विज्ञान स्ट्रीम में आवश्यक शैक्षिक योग्यता उच्च माध्यमिक (10वीं) या वरिष्ठ माध्यमिक (कक्षा-12) को कम करने की संभावना का पता लगाना चाहिए ताकि कीटनाशक/कृमिनाशक या खुदरा केन्द्रों में अपने कर्मचारियों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि की जा सके और इसे वर्तमान समय के अनुरूप बनाया जा सके। समिति ने मंत्रालय से यह सिफारिश की थी कि वह कीटनाशक/कृमिनाशक व्यवसाय चलाने और उसके कारोबार के पिछले अनुभव के वर्षों को कम करके उनके नाम पर अपने लाइसेंस की वैधता की अवधि के लिए शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता से छूट के लिए अपेक्षित अनुभव और कारोबार मानदंडों की मौजूदा शर्तों में ढील देने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करे।

19. समिति की सिफारिशों के उत्तर में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) ने अपने की गई कार्रवाई उत्तरों में अन्य बातों के साथ यह जानकारी दी है कि सरकार ने डीलरों के लिए सूचना पत्र जीएसआर 106 (ई) दिनांक 06.02.2017 के माध्यम से शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता शुरू की थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कीटनाशक/कृमिनाशक या खुदरा केन्द्रों पर कर्मचारियों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी या जीवन विज्ञान या रसायन विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान में स्नातक डिग्री के रूप में न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हो या कृषि या बागवानी या पादप संरक्षण और कीटनाशक प्रबंधन पर पाठ्यक्रम सामग्री के साथ संबंधित विषय में 1 वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम हो, ताकि कीटनाशकों, जो स्वाभाविक रूप से जहरीले और खतरनाक पदार्थ हैं, के लेन-देन में लेबल और लीफलेट पर लिखे निर्देशों का कड़ाई से पालन कियाजा सके और इनके उचित उपयोग के लिए किसानों को सही मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके। डीलरों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता को उच्च माध्यमिक (कक्षा-10) या वरिष्ठ माध्यमिक (कक्षा-12) को कम करने के पहलू पर मंत्रालय ने यह तर्क दिया है कि कीटनाशकों या कृमिनाशकों को शिक्षा के उच्च माध्यमिक या वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर एक विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जाता है और इसके अलावा, उपयोग, फसल रोग से निपटने, पर्यावरण आदि के संबंध में कीटनाशक के उपयोग की जानकारी और समझ विज्ञान स्ट्रीम के छात्रों को भी प्रदान नहीं की जाती है। फसल, कीट और कीटनाशक क्षेत्र में निरंतर होने वाले परिवर्तनों का विशिष्ट ज्ञान और जानकारी प्राप्त करने के लिए उच्च माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर विज्ञान विषय का बुनियादी अध्ययन करने के बाद, बी.एससी कृषि या संबंधित विषय के साथ विज्ञान स्नातक या फसल संरक्षण मॉड्यूल में विशेष पाठ्यक्रम

होना चाहिए। इसलिए, विभाग के मत अनुसार कीटनाशकों की बिक्री को केवल एक ऐसे पेशे के रूप में नहीं देखा जा सकता है जहां बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए। इसके बजाय, कीटनाशकों के उपयोग, फसल रोग से निपटने, पर्यावरण आदि के प्रति समझ, ज्ञान और उत्तरदायित्व की भावना वाले लोगों को ही कीटनाशी व्यवसाय में प्रवेश करना चाहिए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) द्वारा दिए गए उपरोक्त औचित्य के आधार पर उन्होंने यह तर्क दिया है कि कीटनाशक/कृमिनाशक का लाइसेंस प्राप्त करने और प्रभावी प्रशिक्षण के साथ इसे पूरा करने के लिए शैक्षिक अर्हता को कम करने पर विचार नहीं किया जा सकता है।

20. कीटनाशक डीलरों और/या खुदरा विक्रेताओं के लिए 'अनुभव और टर्नओवर मापदंड' के पहलू पर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) ने सूचित किया है कि हितधारकों की आपत्तियों और सुझावों के आलोक में मौजूदा डीलरों को छूट देने का प्रावधान किया गया है क्योंकि यह महसूस किया गया था कि उन सभी छोटे और सीमांत डीलरों के अनुभव को ध्यान में रखना आवश्यक है जिनका वार्षिक टर्नओवर 5 लाख रुपये से कम और इस व्यवसाय में न्यूनतम 10 साल का अनुभव है ताकि वे अपने व्यवसाय और आजीविका से वंचित न रहें। इसके अलावा, उन सभी लाइसेंस धारकों, जो अभी भी बचे हुए हैं और स्नातक या एक वर्ष के डिप्लोमा की अर्हता प्राप्त करने या किसी व्यक्ति को नियोजित करने की कठिनाई से गुजर कर अपने व्यवसाय को बाधित नहीं करना चाहते हैं, को अपनी सुविधा के अनुसार पादप संरक्षण और कीटनाशक प्रबंधन में बारह सप्ताह का अल्पावधि प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम करने में सक्षम बनाकर और अधिक सुविधा प्रदान की गई है। हालांकि, भारत सरकार ने पहले ही उक्त पाठ्यक्रम को पूरा करने की समय-सीमा 31.12.2020 से

बढ़ा 31.12.2021 तक कर दी है। इसलिए मंत्रालय ने यह दलील दी है कि कीटनाशकों और कृमिनाशकों के व्यवसाय को चलाने के निर्धारित अनुभव के वर्ष कम करने की आवश्यकताओं और उनके टर्न-ओवर की आवश्यकता पर विचार करने की जरुरत नहीं है।

21. समिति कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) द्वारा कीटनाशक डीलरों और/या खुदरा विक्रेताओं के लिए शैक्षिक योग्यताओं, अनुभव और टर्नओवर मानदंडों में कोई छूट न देने के लिए दिए गए तर्कों से संतुष्ट नहीं है। समिति की सुविचारित राय है कि यद्यपि यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि केवल योग्य व्यक्ति ही कीटनाशकों, कृमिनाशकों, उर्वरकों और बीजों जैसे कृषि आदानों में व्यापार के अपने प्रतिष्ठानों का संचालन करें, हालांकि, इसके साथ ही, अपेक्षित शैक्षिक योग्यताओं को कम करना और कीटनाशक डीलरों और/या खुदरा विक्रेताओं के लिए अनुभव और कारोबार के मापदंड में छूट से न केवल बड़ी संख्या में बेरोजगार व्यक्तियों विशेष रूप से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे, साथ ही देश के खाद्य कार्यक्रम में एक सतत विकास दर को बनाए रखने में मदद मिलेगी। समिति यह भी बताना चाहती है कि मंत्रालय का यह तर्क कि कीटनाशकों या कृमिनाशकों को उच्च माध्यमिक या वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के साथ एक विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जाता है, इस तथ्य के मद्देनज़र भी दृढ नहीं लगता है कि बदले हुए परिदृश्य में और विभिन्न वाणिज्यिक गतिविधियों को और अधिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता के चलते, अकादमिक ज्ञान/उपलब्धियों के साथ-साथ कार्य अनुभव को भी उचित महत्व दिया जाना चाहिए। इसलिए समिति इस बात को दोहराती है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग) को कीटनाशक/कृमिनाशक डीलरों और/या खुदरा विक्रेताओं या उनके कर्मचारियों के

लिए विज्ञान विषयों में आवश्यक शैक्षिक योग्यता(ओं) (कक्षा-10) या वरिष्ठ माध्यमिक (कक्षा-12) तक कम करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक संख्या में व्यक्ति इस व्यवसाय में प्रवेश कर सकें।

22. समिति कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) से यह भी आग्रह करना चाहती है कि वे लाइसेंस धारक द्वारा अपने नाम पर लाइसेंस की वैधता की अवधि के लिए शैक्षिक योग्यता धारण की आवश्यकता से छूट के लिए अपेक्षित अनुभव और टर्नओवर मापदंड की मौजूदा शर्तों में ढील देने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करने पर विचार करें। इस संबंध में की गई/प्रस्तावित ठोस कार्रवाई से समिति को अवगत कराया जाये।

<u>कीटनाशक प्रबंधन में अल्पकालिक प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम</u>

23. समिति ने कीटनाशक प्रबंधन में 12 सप्ताह का अल्पकालिक प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम करने के लिए पहचाने गए डीलरों/खुदरा विक्रेताओं की संख्या की तुलना में कीटनाशकों/कृमिनाशकों के डीलरों/खुदरा विक्रेताओं के कम नामांकन पर चिंता व्यक्त करते हुए, सिफारिश की थी कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) को राज्य सरकारों और राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान (एनआईपीएचएम), हैदराबाद के परामर्श से अधिक से अधिक संख्या में ऐसे कीटनाशकों/कृमिनाशकों के डीलरों/खुदरा विक्रेताओं को नामांकित करने के लिए सक्रिय उपाय करने चाहिए जिन्हें कीटनाशक/कृमिनाशक प्रबंधन में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम करने की आवश्यकता है। उक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वार्षिक आधार पर सर्वश्रेष्ठ तीन प्रदर्शन करने वाले राज्यों के लिए ट्राफियां या प्रमाण पत्र देने जैसे कुछ प्रोत्साहन भी सभी राज्यों को दिए जाने चाहिए। समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि मंत्रालय को उक्त प्रशिक्षण/कक्षाएं

दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से या ऑनलाइन मोबाइल अनुप्रयोगों के माध्यम से आयोजित करने के तौर-तरीकों का पता लगाना चाहिए ताकि डीलरों/खुदरा विक्रेताओं को इस पाठ्यक्रम को करने के लिए शारीरिक रूप से संस्थानों/अध्ययन केंद्रों में जाने की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

24. कृषि और किसान कल्याण (कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) ने अपने की-गई-कार्रवाई संबंधी उत्तरों में सूचित किया है कि विभाग द्वारा संसदीय समिति के सुझावों पर विचार किया गया है और उन्हें कार्यान्वित किया है और इस संबंध में निम्नलिखित कार्रवाई की गई हैं जिनसे वर्तमान कंडीशनों को संस्थाओं/अध्ययन केंद्रों पर स्वयं जाने की कठिनाई से गुजे बिना ऑनलाइन माध्यम से प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम को करने की सुविधा मिलेगी :-

(एक) अल्पकालीन प्रमाण पत्र पाठ्यकम कर रहे वर्तमान डीलरों की प्रभावी निगरानी के लिए राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य की समिति को नोडल एजेंसी के रूप में लगाने की स्वीकृति दी गई है और अल्पकालीन प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम की निगरानी और संचालन के लिए केंद्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में लगाने की स्वीकृति दी गई है। लागू नियमों के रूप में समिति को इस प्रयोजनार्थ अभ्यर्थियों के प्रत्येक बैच के लिए निगरानी शुल्क (प्रोत्साहन राशि) का भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्ति, सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों को ट्राफी और प्रमाण-पत्र देना भी कार्यान्वित किया जाएगा।

(दो) ऑनलाइन माध्यम से वर्तमान कीटनाशक डीलरों हेतु अल्पकालीन प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए एनआईपीएचएम को स्वीकृति दी गई है जिनमें 36 घंटों के लिए थ्योरी लेक्चर, 18 घंटों के लिए

प्रैक्टिकल/फील्ड दौरे और 18 घंटों के लिए समुनेदेक (कुल 72 घंटे, 12 दिन) होंगे।

25. समिति यह नोट करके अत्यंत प्रसन्न है कि वर्तमान डीलरों हेतु उक्त प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम का प्रभावी कार्यान्वयन और संचालन सुनिश्चित करने के दृष्टिगत नोडल एजेंसी के रूप में प्रत्येक राज्य की समिति और केंद्रीय स्तर पर एनआईपीएचएम को लगाने की स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्ति समिति यह नोट करके भी संतुष्ट है कि ऑनलाइन मॉड्यूल से वर्तमान कीटनाशक डीलरों हेतु अल्प-कालीन प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए एनआईपीएचएम को अपेक्षित स्वीकृति दी गई है। इसके बावजूद, समिति कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) से आग्रह करना चाहती है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके अपने स्तरपर सभी आवश्यक प्रयास करे कि वर्तमान कीटनाशी/पेस्टनाशी डीलरों/खुदरा विक्रेताओं के लिए नियमित और प्रभावी रूप से अल्पकालीन पाठ्यक्रम आयोजित किए जाएं।

<u>अमानक/घटिया उर्वरक सामग्री के लिए विनिर्माताओं की समान जिम्मेदारी</u>

26. समिति ने इस तथ्य को नोट करते हुए कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) ने विनिर्माता को 'द्वितीय पक्ष' रूप में बताने के लिए दिनांक 6 दिसंबर, 1991 को राज्य प्रवर्तन प्राधिकारियों को निर्देश जारी किया गया था जहां 'ओरिजिनल साउंड बैगस' (छेड़छाड़ के किसी नियम के लिए) में से डीलर से नमूने लिए गए थे और उन्हें 'अमानक' पाया था। मंत्रालय से सिफारिश की थी कि वह विनिर्माताओं की समान रूप से जिम्मेदारी निर्धारित करने तथा उन्हें दंड के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए समुचित तंत्र

बनाए तथा यदि आवश्यक हो वह इस प्रयास में उर्वरक (नियंत्रण) आदेश (एफसीओ) 1985 में उपयुक्त संशोधन करने पर विचार करे।

27. समिति की उपर्युक्त सिफारिशों के क्रम में कृषक और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तरों में सूचित किया है कि मामले की जांच की गई है और निम्नलिखित नए खंड को उर्वरक (नियंत्रण) आदेश (एफसीओ), 1985 में सम्मिलित करने का निर्णय किया है जिसके प्रारूप अधिसूचना तैयार करके समुचित पुनरीक्षण विधि और न्याय मंत्रालय को भेजी गई है :

> "खंड 19 ए : ऐसे मामलों में जहां 'ओरिजनल साउंड बैग्स (छेड़छाड़ के किसी निशान के बिना) में से डीलरों से नमूने लिए गए थे, तो ऐसी परिस्थितियों में, अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय में मुकदमा दायर करने और इस आदेश के अंतर्गत कार्यवाही के लिए डीलर और विनिर्माण दोनों को पक्ष बनाया जाएगा।

28. समिति यह नोट कर प्रसन्नता व्यक्त करती है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) ने विनिर्माताओं पर समान रूप से जिम्मेदारी निर्धारित करने और घटिया उत्पाद बनाने में उनकी संलिप्तता के मामले में उन्हें दंड का भागी बनाने के लिए उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 में उपर्युक्त नए खंड को समाहित करके इस दिशा में ठोस प्रयास किया है। तथापि समिति आगे की गई कार्रवाई और इस बारे में उसके परिणामों से अवगत होना चाहती है।

घटिया उर्वरकों, बीजों और कीटनाशकों के मामलों में दोषसिद्धि की दर

29. घटिया उर्वरकों, बीजों और कीटनाशकों के संबंध में दोषसिद्धि की अत्यंत निम्न दर पर चिंता व्यक्त करते हुए समिति ने सिफारिश की थी कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) को यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन कृषि आदान उत्पादों की गुणवत्ता से कोई समझौता न हो तथा किसानों को केवल विश्वसनीय और उपयुक्त उत्पाद उपलब्ध कराया जाए। संदेहास्पद विनिर्माताओं/डीलरों के विरुद्ध घटिया उर्वरकों, बीजों और कीटनाशकों के अभियोजन के मामलों में दोषसिद्धि की दर में सुधार करने के लिए उचित रास्ते तलाशने के लिए राज्य सरकारों के साथ संपर्क करना चाहिए। इस क्रम में समिति ने यह भी सुझाव दिया था कि राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील बनाया जाना चाहिए कि उर्वरकों, बीजों और कीटनाशकों के किसी भी निर्माता/डीलर को इसके लिए अभिहित अधिकारियों/निरीक्षकों द्वारा फर्जी मामलों में न फंसाया जाए।

30. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) ने अपने की गई कार्रवाई उत्तरों में यह बताया है कि 23 अगस्त 2021 को राज्य सरकारों को एफ सी ओ के उपबंध (उपबंधों) का कार्यान्वयन करते समय लोकसभा की याचिका समिति की टिप्पणियों का अनुपालन करने के लिए 'एडवाइजरी' जारी की गई है जिसमें राज्यों को अदालत में मामले दायर करने संबंधी मामलों में डीलरों/निर्माताओं को 'पक्षकार' के रूप में शामिल करने और मामला/मामले दायर करने में लगने वाले समय के बारे में राज्यों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया या मानदंड से मंत्रालय को अवगत कराने की सलाह दी गई है।

31. समिति यह नोट कर संतुष्ट है कि उसकी सिफारिश का अनुकरण करते हुए राज्य सरकारों को पहले ही 'एडवाइजरी' जारी कर दी गई है जिसके अनुसार राज्यों को सलाह दी गई है कि अदालती मामले दायर करने के लिए और मामले में डीलरों/विनिर्माताओं को पक्षकार के रूप में शामिल करने के लिए तथा मामला (मामले) दायर करने में लगने वाले समय के बारे में राज्यों द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया/अपनाए गए मानदंड से मंत्रालय को अवगत कराएँ। इस बारे में समिति का मत है कि केवल 'एडवाइजरी' जारी करना प्रभावी समाधान नहीं है तथा इसका अंततः परिणाम 'रस्म अदायगी का प्रयास' भर रह जाता है जब तक की कार्यान्वयन की स्थिति की सूक्ष्मता से निगरानी न की जाए। इसलिए समिति अपनी पूर्व सिफारिश पर पुनः जोर देते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) से आग्रह करती है कि संदेहास्पद विनिर्माताओं/डीलरों के विरुद्ध घटिया उर्वरकों, बीजों एवं कीटनाशक्नों के ऐसे सभी अभियोजन मामलों में दोषसिद्धि की दर में सुधार के लिए उचित रास्ते तलाशने हेतु राज्य सरकारों के साथ समन्वय करे।

<u>रिकॉर्ड की आधुनिक प्रणाली/सामान की सूची का प्रबंधन/डिजिटल रिकॉर्ड रखरखाव</u>

32. भारत सरकार के अति प्रशंसित डिजिटल इंडिया अभियान जिसके अंतर्गत हाल के वर्षों में देशभर में इंटरनेट कनेक्टिविटी में कई गुना विस्तार किया गया है, की दृष्टि में रखते हुए समिति ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) से विनिर्माताओं/डीलरों द्वारा डिजिटल रूप में स्टॉक का रिकॉर्ड रखने के लिए, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 और बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 में उपयुक्त संशोधन की रूपरेखा तैयार करने की सिफारिश

की थी जिससे न केवल स्टॉक प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि प्रत्यक्ष रूप में सरकारी एजेंसियों दवारा सत्यापन प्रक्रिया का सरलीकरण भी होगा।

33. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) ने अपने की गई कार्रवाई के उत्तरों में यह निवेदन किया है कि राज्यों से अनुरोध किया गया है कि बीज प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाने और सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए बीज डीलरों द्वारा बीजों के स्टॉक का रिकार्ड डिजिटल रूप में [बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के तहत प्रपत्र-डी] बनाए रखने की जरूरत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) ने आगे सूचित किया है कि इस मामले की जांच की गई है और निम्नलिखित प्रावधानों को शामिल करते हुए खंड 35 (1) (क) के मौजूदा प्रावधान में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है जिसके लिए एक प्रारूप अधिसूचना तैयार की गई है और उचित पुनरीक्षण के लिए विधि और न्याय मंत्रालय को भेजी गई है : -

> "या फॉर्म में डिजिटल स्टॉक रजिस्टर बनाए रखें जिसमें स्पष्ट रूप से तारीख-वार स्टॉक स्थिति, ओपनिंग बैलेंस, दिन के दौरान रसीदें, दिन के दौरान बिक्री और अंतिम स्टॉक स्पष्ट दर्शाया गया हो"

34. समिति को यह नोट कर संतोष है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) ने खुदरा विक्रेताओं/डीलरों द्वारा डिजिटल रूप में स्टॉक का रिकॉर्ड बनाए रखने हेतु त्वरित प्रावधान करने के लिए बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 में उपरोक्त नए खंड को शामिल करने की दिशा में अपने प्रयास किये हैं। तथापि, समिति यह दोहराना चाहेगी कि विनिर्माताओं/डीलरों द्वारा स्टॉक का रिकॉर्ड डिजिटल रूप में बनाए रखने के लिए उर्वरक (नियंत्रण)

आदेश, 1985 में भी इसी प्रकार के प्रावधान को शामिल किया जा सकता है। समिति इस संबंध में की गई /प्रस्तावित कार्रवाई से अवगत होना चाहेगी।

<u>बीज और उर्वरकों के मामले में परिवार के किसी अन्य सदस्य को लाइसेंस का हस्तांतरण</u>

35. बीज और उर्वरकों के संबंध में मौजूदा लाइसेंस धारक द्वारा नए स्थान पर लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय बोझिल प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए समिति ने सिफारिश की थी कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) को मौजूदा लाइसेंस धारक के परिवार के सदस्यों को बीज और उर्वरक लाइसेंस के हस्तांतरण के लिए कार्य विधि तैयार करनी चाहिए और तदनुसार, बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 और उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 में उचित संशोधन किया जाये

36. इसके प्रत्युत्तर में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) ने यह निवेदन किया है कि बीज डीलरों के लाइसेंस को उचित प्रक्रिया के बाद कानूनी उत्तराधिकारी/परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित करने के लिए मौजूदा बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 में उपयुक्त संशोधन प्रस्तावित किए जा रहे हैं। तथापि, उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के खंड 8 (4) के तहत डीलर को 15 दिन का डीलर प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है। मंत्रालय ने यह भी निवेदन किया है कि अपेक्षित अर्हता प्राप्ति के बिना प्राधिकार पत्र का हस्तांतरण, उर्वरकों की बिक्री के लिए खुदरा डीलरशिप के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए योग्यता या प्रशिक्षण निर्धारित करने के उद्देश्य को निष्फल कर देगा और इसलिए, समिति के अनुरोध से सहमत होना व्यवहार्य नहीं है।

37. समिति कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) से प्राप्त आश्वासन पर संतोष व्यक्त करती है कि बीज के डीलरों के लाइसेंस को उचित प्रक्रिया का अनुकरण करते हुए उनके कानूनी उत्तराधिकारी/परिवार के सदस्यों को अंतरित करने के लिए मौजूदा बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 में उपयुक्त संशोधन का प्रस्ताव किया जा रहा है। इसलिए समिति का कहना है कि मंत्रालय इस बारे में अपने प्रयत्नों में तेजी लाए।

<u>प्रस्तावित नाशकजीवमार प्रबंध विधेयक, 2020</u>

38. स्वदेशी उत्पादन को सुदृढ़ करने और कीटनाशकों के विनियमन को सरल बनाने के लिए प्रस्तावित नाशकजीवमार प्रबंध विधेयक, 2020 के लक्ष्यों की प्रशंसा करते हुए समिति ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया था कि इस विधेयक के संसद द्वारा पारित होने और माननीय भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिलते ही, तेजी के साथ नियम बनाए जाएं और दोनों सभाओं के पटल पर रखे जाएं ताकि इस बेहतरीन विधान से किसान समुदाय के समग्र कल्याण में वृद्धि हो सके जिसके लिए केंद्र सरकार अपने नए कार्यक्रमों और नीतियों से ईमानदार प्रयास करती रही है। इसके अनुसरण में, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) ने समिति को आश्वासन दिया है कि जब भी उक्त विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाएगा और माननीय भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिल जाएगी तब शीघ्रता से नियम बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

39. समिति को आशा और विश्वास है कि सुरक्षित कीटनाशक की उपलब्धता सुनिश्चित करने और मनुष्य, पशुओं एवं पर्यावरण को होने वाले खतरे को न्यूनतम

करने के लिए, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) विधेयक के मूल लक्ष्यों यथा उत्पादन, आयात, बिक्री, भंडारण, वितरण, प्रयोग और कीटनाशकों के निपटान को विनियमित करने के लिए संसद द्वारा नाशकजीवमार प्रबंध विधेयक, 2020 के पारित होने और अधिनियम बनते ही नियम बनाने के लिए समेकित प्रयास करेगा। समिति इस बारे में अद्यतन स्थिति और आगे प्रस्तावित परिणामी कार्रवाई के बारे में अवगत होना चाहती है।

नई दिल्ली;

22 दिसंबर, 2021

1 पौष, 1943 (शक)

श्री हरीश द्विवेदी,

सभापति,

याचिका समिति